बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
–:संकल्प:–

श्रीमती पुनम कुमारी, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, डालमियानगर, रोहतास सम्प्रति श्रम अधीक्षक, नालन्दा–01 के विरूद्ध अवर सचिव (श्रम पक्ष) के पत्रांक–2592 दिनांक–21.08.2015 के माध्यम से उप श्रमायुक्त, मगध प्रमण्डल गया द्वारा दिनांक–19.03.2015 को श्रम अधीक्षक, डालमियानगर के कार्यालय के किये गए निरीक्षणोपरांत कार्यालय, उप श्रमायुक्त, मगध प्रमण्डल गया के पत्रांक–281 दिनांक–20.03.2015 द्वारा भेजे गए जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्रमायुक्त, बिहार के स्तर से प्रपत्र 'क' में कुल 7(सात) आरोप गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–2536 दिनांक–03.09.2015 द्वारा श्रीमती पुनम कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर, रोहतास के पत्रांक–681 दिनांक–17.10.2015 एवं पत्रांक–818 दिनांक–08.12.2015 द्वारा श्रीमती पुनम कुमारी का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। श्रीमती पुनम कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्रीमती पुनम कुमारी के विरूद्ध 3(तीन) आरोपों को प्रमाणित करते हुए विभागीय स्तर से प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–916 दिनांक–12.04.2017 सहपठित संकल्प ज्ञापांक–2020 दिनांक–08.08.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

2. श्रीमती पुनम कुमारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित तीन आरोप निम्नवत है:–

(i) श्रीमती पुनम कुमारी के विरुद्ध पहला आरोप यह है कि उप श्रमायुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–19.03.2015 को वे कार्यालय में उपस्थित नहीं थी। उन्होंने अपने आवास से संचिका निष्पादन की बात स्वयं स्वीकार की हैं। उप श्रमायुक्त के बुलाने पर 11:40 बजे पूर्वाह्न में अपने आवास से कार्यालय आयीं एवं संचिका भी आवास से ही मंगवायी गयी। संचिका आवास पर रखना नियमानुकूल नहीं है।

(ii) श्रीमती पुनम कुमारी के विरुद्ध दूसरा आरोप यह है कि वे अपने आवास पर ही चेक, अभिलेख एवं लाभुकों की सूची रखती हैं। उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने भी लिखित अभिकथन दिया है कि चेक वितरण संबंधी कोई जानकारी उन लोगों को नहीं रहती है। चेक वितरण वे स्वयं करती हैं।

(iii) श्रीमती पुनम कुमारी के विरुद्ध तीसरा आरोप यह है कि यद्यपि कि उप श्रमायुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के द्वारा साक्ष्य के रुप में उपस्थापित चेक पर उनका हस्ताक्षर नहीं है। परन्तु चेक पर तिथि एवं राशि भरी हुई है तथा मुहर भी लगा हुआ है। इस तरह चेक पूर्व में भरकर रखना संदिग्ध आचरण का द्योतक है।

श्रीमती पुनम कुमारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–7627 दिनांक–05.12.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें प्रपत्र 'क' में गठित तीन आरोपों में से आरोप संख्या–01 को अप्रमाणित तथा आरोप संख्या–02 एवं 03 को प्रमाणित पाया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3544 दिनांक–12.12.2017 एवं अनुवर्ती पत्र द्वारा श्रीमती पुनम कुमारी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

3. श्रीमती पुनम कुमारी के पत्र दिनांक–05.03.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में आरोप संख्या–02 एवं 03 के संबंध में अपना पक्ष रखा जिसमें दोनों आरोपों का खण्डन किया गया।

(i) दूसरे आरोप के संबंध में श्रीमती पुनम कुमारी द्वारा उल्लेख किया है कि दिनांक–19.03.2015 को निरीक्षण के दौरान किसी भी कर्मी ने यह नहीं कहा है कि वे अपने आवास पर चेक, अभिलेख एवं लाभुकों की सूची रखती हैं। कर्मियों ने ऐसा कहा था कि चेक वितरण की जानकारी उन्हें नहीं है कि अब तक कितना चेक वितरित हुआ है। श्रीमती पुनम कुमारी ने यह भी उल्लेख किया है

कि विभागीय कार्यवाही के दौरान दिनांक– 19.09.2017 को उक्त तीनों कर्मियों ने अपना बयान दर्ज कराया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि चेक वितरण से संबंधित सभी पंजीयों आदि पर लिखावट उनकी है एवं आवास पर चेक से संबंधित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया जाता था। सभी तरह के पंजियों का रख–रखाव सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, डालमियानगर के आलमिरा में किया जाता था।

(ii) तीसरे आरोप के संबंध में श्रीमती पुनम कुमारी द्वारा उल्लेख किया है कि उनके विरुद्ध एकमात्र चेक संख्या–550539 के आधार पर आरोप गठित किया गया है। यह वही चेक है, जिस दिन उप श्रमायुक्त कार्यालय के निरीक्षण के लिए आए थे उसी समय एक लाभुक राजकुमारी देवी अपना चेक लेने आयी थी और उन्हीं के समक्ष कार्यालय कर्मी द्वारा चेक पर राशि, तिथि आदि अंकित कर हस्ताक्षर हेतु उनके समक्ष लाया गया था। उनके verification के पूर्व ही उप श्रमायुक्त द्वारा उस चेक का फोटोकॉपी करा कर रख लिया गया एवं उनके हस्ताक्षर करने के बाद ही उस चेक की छायाप्रति कराकर रख ली गयी।

4. श्रीमती पुनम कुमारी के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में श्रीमती पुनम कुमारी के विरूद्ध पहले आरोप में संचालन पदाधिकारी के इस अभिमत से सहमत हुआ गया कि श्रीमती पुनम कुमारी सात मास के गर्भावस्था में थी और उस Critical अवधि में भी कार्य निष्पादित कर रही थी। उप श्रमायुक्त, गया को डालमियानगर कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना पर श्रीमती पुनम तुरन्त पहुँच गयी। ऐसी स्थिति में उन्हें कार्यालय से अनुपस्थित नहीं माना जा सकता। श्रीमती पुनम कुमारी के विरूद्ध दूसरे आरोप के संबंध में पाया गया कि जाँच के दौरान कर्मचारियों के बयान से स्पष्ट है कि श्रीमती पुनम कुमारी द्वारा चेक के वितरण की सारी कार्रवाई स्वयं उनके द्वारा की जाती थी जिसकी जानकारी अधीनस्थ कर्मचारियों को नहीं थी एवं इस संबंध में बाद में जो बयान श्रीमती पुनम कुमारी द्वारा कर्मचारियों से लिखवाकर दिया है वह काफी भ्रामक है एवं उसमें पूर्व की कही गयी बात को तोड–मरोरकर पेश किया गया। इस प्रकार यह आरोप प्रमाणित पाया गया। श्रीमती पुनम कुमारी के विरूद्ध तीसरे आरोप के संबंध में श्रीमती पुनम कुमारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में दिये गए बचाव बयान को स्वीकार किया गया। समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्रीमती पुनम कुमारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप संख्या–02 प्रमाणित मानते हुए श्रीमती पुनम कुमारी के विरूद्ध एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा देने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव श्रीमती पुनम कुमारी, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, डालमियानगर, रोहतास सम्प्रति श्रम अधीक्षक, नालन्दा–01 के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम 14 (v) के तहत लघु दण्ड स्वरूप एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्रीमती पुनम कुमारी, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, डालमियानगर, रोहतास सम्प्रति श्रम अधीक्षक, नालन्दा–01 को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सुधा रानी)
विशेष कार्य पदाधिकारी

sankalp54

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–50/2015 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–50/2015 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–50/2015 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, रोहतास/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/ कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

निबंधित/स्पीड ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–50/2015 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्रीमती पुनम कुमारी, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, डालमियानगर, रोहतास सम्प्रति श्रम अधीक्षक, नालन्दा–01को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–50/2015 श्र०सं०– 1336 पटना, दिनांक–08/6/2018
प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार, पटना/विशेष सचिव/अवर सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 06 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rani 8.6.18
विशेष कार्य पदाधिकारी
8/6/18